कार्यालय | जिलाधिकारी | बुलन्दशहर।

पत्रांकः 5457/न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2020 | दिनॉकः 22.10.2020

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड–19 के थ्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मा0 मुख्य सचिव, गृह(गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या 2127/2020/सीएक्स–3 दिनांक 03.10.2020 के द्वारा निर्देश दिये गये है कि लॉकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा तथा कन्टेंनमेंट जौन का निर्धारण माइको लेवल पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस उद्देश्य से किया जायेगा कि संकमण श्रखला के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः–

<u>शहरी क्षेत्रः–</u>

(1) किसी एक घर में एक या उससे अधिक संकमण के प्रकरण पाये जाने पर अगल–बगल के अधिकतम एक–एक घर तक माइको कन्टेंनमेंट जोन बनाया जायेगा।

(2) एक से अधिक घरों में संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर, जिन घरों में संक्रमण के प्रकरण आये हों, उनके अगल–बगल के घरों तक के क्षेत्र को कलस्टर जोन माना जायेगा और तदनुसार पैरामीटर कन्ट्रोल भी रहेगा।

(3) आवासीय बहुमंजिला सोसाइटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट–जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी–

(i) यदि एकल तल पर सकिय केस पाया जाये तो ऐसा तल सील कर दिया जायेगा।

(ii) यदि एक से तलों पर संकिय केस पाये जाये तो संबंधित तल ही सील कर दिया जायेगा।

(iii) यदि एक सोसाईटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाये जाते है तो ऐसी सोसाईटी में संबंधित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थाना तथा पार्क, जिम, तरण–ताल, बैक्वेट–हॉल आदि को भी कन्टेंनमेंट जोन में शामिल करते हुये तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा, जिससे कि संकमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।

(iv) ऐसे भवनों को पूर्ण रूप से सेनेटाईज/निसंकमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जायेगा।

(4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट–जोन के सम्बन्ध में

(i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड–19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।

<u>ग्रामीण क्षेत्रः–</u>

(1) किसी एक घर में एक या उससे अधिक संकमण के प्रकरण पाये जाने पर अगल–बगल के अधिकतम एक–एक घर तक माईको कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा।

(2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो जिन घरों में संकमण के प्रकरण आये हो, उनके अगल–बगल के घरों तक के क्षेत्र को कलस्टर जोन माना जायेगा तथा तदनुसार पैरामीटर कन्ट्रोल भी रहेगा।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक–एल.आई.यू./सी–34/2020 दिनांक 22.10.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तो के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्लो, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।"

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 134 हॉट स्पॅाट चिन्हित कर सील किये गये है, जिनमें 38–एच0 ब्लॉक यमुनापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 देवीपुरा–।, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, टांडा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, आवास विकास–द्वितीय नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0लक्ष्मी नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0रामा एनक्लेव मन्दिर के पास नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0कोठियात आजाद पब्लिक स्कूल के सामने शिवचरन इं0का0 वाली गली को0नगर बुलन्दशहर, मौ0प्रेमनगर राजदराबार होटल के सामने, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0राधानगर निकट भाटी आटा चक्की नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, आवास विकास प्रथम(एच0एफ0एस/एस0एफ0एच0) नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शिव टैण्ट वाली गली नं0–1 धमैडा मोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, माता वाली गली चॉदपुर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, नया गॉव चॉदपुर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, खाटू श्याम मन्दिर के बराबर वाली गली मोती बांग सिविल लाईन नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 बाबूपुरा बिजली घर के सामने चॉमड वाली गली देवीपुरा प्रथम नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, अपार्टमेंट गंगानगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, चौधरी शिकारपुर कम्पाउण्ड, डी0एम0रोड नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मेरठ हॉस्पिटल के सामने वाली बिल्डिंग, अनूपशहर रोड नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, ईश्वर दयाल वाली गली मौ0राधानगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 भूड डाकखाने वाली गली भाना की चक्की के पास नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, चन्द्रकुटी, डी0एम0 रोड नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, नूर मस्जिद के बराबर वाली गली, मौ0फैसलाबाद नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शर्मा टायर हॉउस के पास अनूपशहर अडडा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, ए0 ब्लाक यमुनापुरम नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, भवन मन्दिर के पीछे देवीपुर द्वितीय नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शिव मन्दिर के आगे वाली गली, मौ0भगवानपुर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, वाटर वर्क्स के सामने मौ0साठा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सुशीला बिहार नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, चक्की वाली गली, मौ0ईटा रोडी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शिव अवश्य कालोनी, निकट न्यू राजदराबार मैरिज होम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सूर्य नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, नाले के पास मौ0देवीपुरा प्रथम नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 हरी एनक्लेव नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0कोठियात आजाद कालोनी नगर पालिका के सामने नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0चारयार

निकट यश फार्म हाउस, नगरीय खेत्र बुलन्दशहर, मौ0शान्तिनगर भूड नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, श्री नाथ मारबल के बराबर वाली गली, पन्नी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, राजेश्वर मन्दिर के सामने वाली गली (सराय गुसाई) नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर बने है। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 96 हॉटस्पाट–एन0ए0पी0पी0 टाउनशिप, नरौरा तहसील डिबाई, चमन बिहार कालोनी नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौ0छासियावाडा निकट खुर्जा गेट चौकी नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, मौ0श्यौदत्त नगरीय क्षेत्र गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, नई बस्ती ग्राम दौलतपुर कंला वि0ख0 ऊँचागॉव तहसील स्याना, मौ0पंचवटी वि0ख0 व तहसील खुर्जा, ग्राम गिनौरा नगली वि0ख0 जहॉगीराबाद तहसील स्याना, मौ0स्याना सिकन्दरा नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद तहसील बुलन्दशहर, मौ0अहीरपाडा नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौ0 सराय नसरूल्ला नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम अगराई वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बरवाला वि0ख0 ऊँचागॉव तहसील स्याना, ग्राम नगला तुलसी वि0ख0 व तहसील डिबाई, ग्राम दौगंवा वि0ख0 व तहसील डिबाई, बहलिमपुरा वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम अटेरना वि0ख0 अरनिया तहसील खुर्जा, मौ0 नई वस्ती नगरीय क्षेत्र खुर्जा, पी0एन0बी0 के पास मौ0 पाठक नगरीय क्षेत्र जहॉगीराबाद, ग्राम सबदलपुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम बैरा फिरोजपुर वि0ख0 व तहसील स्याना, मौ0जाटवान कस्वा व वि0ख0 बी0बी0नगर तहसील स्याना, ग्राम कमालपुर वि0ख0 ऊँचागॉव तहसील स्याना, मौ0हीरा कालोनी कस्वा सिकन्द्राबाद, मौ0खत्रीबाडा कस्वा सिकन्द्राबाद, मौ0कालापीर कस्वा सिकन्द्राबाद, ग्राम नत्थूगढी वि0,ख0 गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम नगला करन वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम मूढी बकापुर वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर, डा0मकसूद के मकान के सामने स्याना रोड औरंगाबाद नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद तहसील बुलन्दशहर, वैशाली कालोनी नगरीय क्षेत्र खुर्जा, कब्रिस्तान के पास मौ0लौधान कस्बा जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, सावन कृपाल अस्पताल के पास ग्राम चचरई रोड कस्वा जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, देवेन्द्र मास्टर के मकान के पास मौ0बाजार पुख्ता कस्बा जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम चिरौरी वि0ख0 व तहसील डिबाई, ग्राम दौरऊ वि0ख0 दानपुर तहसील डिबाई, ग्राम चठहेरा वि0ख0 ऊँचागॉव तहसील स्याना, ग्राम धतुरी वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, मौ0मुफतीबाडा नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, लालता मन्दिर के पास मौ0आहार गेट कस्वा व तहसील अनूपशहर, ग्राम दशहरा वि0ख0 अरनिया तहसील खुर्जा, ग्राम सारंगपुर वि0ख0 व तहसील खुर्जा, जोगी वाली गली नवलपुरा नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौ0कायस्थबाडा नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, चॉदपुर चुंगी कस्वा व तहसील स्याना, ग्राम सरावा वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, अमैठा वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, पगौना वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, पीर वियावानी वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम औरंगाबाद अहीर वि0ख0 गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, मौ0अजीजाबाद नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद तहसील बुलन्दशहर, माधोगढ वि0ख0 जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम चचरई वि0ख0 जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम मलकपुर वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, मौ0खीरखानी नगरीय क्षेत्र खुर्जा, बृंदावन बिहार जक्शन रोड, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम महमदपुर वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, आजाद नगर सलेमपुर रोड कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद, टीचर्स कालोनी कस्वा व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम पचौता वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, लेवर कालोनी ग्राम ऊँचा गॉव वि0ख0 अरनिया तहसील खुर्जा, ग्राम ढलना वि0ख0 ऊँचागॉव तहसील स्याना, ग्राम चॉदपुर पूठी वि0ख0 व तहसील स्याना, मौ0पीरखान, एक मीनार मस्जिद के पास नगरीय क्षेत्र गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम जौलीगढ वि0ख0 अगौता तहसील बुलन्दशहर, सरकारी कालोनी तेल मिल औद्योगिक क्षेत्र नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, कुवरपाल पुत्र कालाराम के घर के अगल बगल जाटव मौ0 वि0ख0ऊँचागॉव तहसील स्याना, ग्राम भुन्ना जाटान वि0ख0 व तहसील खुर्जा, निकट बिजलीघर के पास जोखाबाद ओद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, ग्राम भटौला वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, ग्राम रानऊ तहसील शिकारपुर, जाटव मौहल्ला अमरपुर वि0ख0 ऊँचागॉव तहसील स्याना, ग्राम ककरई वि0ख0 जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, मौ0छपैटी कस्वा व तहसील अनूपशहर, ग्राम खुशालगढ वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, ग्राम ताजपुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम जिरौठी वि0ख0 गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम डूंगरा जाट वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, ग्राम बुटैना वि0ख0 व तहसील सिकन्द्रबाद,ग्राम राजघाट, वि0ख0 व तहसील डिबाई, मौ0गॉधी चौक नगरीय क्षेत्र छतारी, तहसील शिकारपुर, मौ0फूलबाग नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ0कानूनगोयान नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ0मौथरपुर नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम साखनी वि0ख0 जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम चिडाबक वि0ख0 गुलावठी व तहसील बुलन्दशहर, गोपाल पैट्रोल पम्प के सामने मौ0रामनगर नगरीय क्षेत्र गुलावठी व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम आसफाबाद चन्दपुरा वि0ख0 गुलावठी व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम ख्वासपुर, वि0ख0 लखावटी व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम बैर वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम सरायघांसी वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम रानापुर वि0ख0 व तहसील स्याना, ग्राम दानपुर वि0ख0 दानपुर तहसील डिबाई, ग्राम दानगढ वि0ख0 दानपुर तहसील डिबाई, मौ0सराय किशनचन्द नगरीय क्षेत्र डिबाई, मौ0अम्बेडकरनगर नगरीय क्षेत्र छतारी तहसील शिकारपुर, ग्राम फतहगढ वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर, सोलंकी बाली गली मुरारी नगर नगरीय क्षेत्र खुर्जा बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 22.10.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या–4206 है, 1859 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में है। जनपद में 70 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहॉ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैलें, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश है। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेगें, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सकमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त

अपर जिलाधिकारी–प्रशासन,
बुलन्दशहर।

<u>प्रतिलिपिः–</u> जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी–प्रशासन,
बुलन्दशहर।

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर
दिनांक-अक्टूबर 22, 2020

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तो के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर भीड एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

22/10/20

प्रभारी निरीक्षक
स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

पत्र संख्या: 690 /एस0टी0–डी0एम0/2020 दिनांक: 21 अक्टूबर, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या–195/एक–11–2020/रा0–11 दिनांक 24 मार्च 2020 के द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा–2 उपधारा(जी) के अन्तर्गत कोविड–19 के कारण फैल रही महामारी को ''आपदा'' घोषित किया गया है। वर्तमान में मा0मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन ने पत्रांक 2105/2020/सीएक्स–3 दिनॉक 01–10–2020 के द्वारा अपने पूर्व पत्र दिनॉक 30 अगस्त 2020 में यथासंशोधन करते हुए दिशा–निर्देश (री–ओपेन) निर्गत किये गये है।

उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 548/पॉच–5–2020 दिनाक 14 मार्च, 2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या–3 सन् 1897) की धारा–2 के अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोविड विनियमावली 2020 के प्रस्तर–12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रविन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर कोरोना वायरस से पीड़ित/संक्रमित मामलों के दृष्टिगोचर होने के परिणामस्वरूप तत्काल प्रभाव से कोविड–19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव किये जाने के उद्देश्य से जनपद बुलन्दशहर के निम्नांकित **क्रम सं0 128 से 134** पर अंकित क्षेत्रों/कन्टेनमेन्ट जोन को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार **दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 की सायं 08:00 बजे** से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने का आदेश देता हूँ। अन्य कन्टेनमेन्ट जोन सम्मुख अंकित दिनॉक से पूर्व में ही सील किये जा चुके हैं:–

क्र0सं0	कन्टेनमेंट जोन का नाम	घोषित दि0	थाना क्षेत्र
1	एच ब्लाक, यमुनापुरम नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर	28–07–2020	को0देहात बु0शहर
2	मौ0 देवीपुरा–1, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	15–08–2020	को0नगर बुलन्दशहर
3	एन0ए0पी0पी0 टाउनशिप, नरौरा तहसील डिबाई	16–08–2020	नरौरा
4	टांडा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	20–08–2020	को0देहात बु0शहर
5	आवास विकास–2, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	28–08–2020	को0देहात बु0शहर
6	चमन बिहार कालोनी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	08–09–2020	खुर्जा नगर
7	मौ0 छासियावाड़ा, निकट खुर्जा गेट चौकी, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद	11–09–2020	सिकन्द्राबाद
8	मौ0 श्यौदत्त, नगरीय क्षेत्र गुलावठी तहसील बुलन्दशहर	18–09–2020	गुलावठी
9	नई बस्ती, ग्राम दौलतपुर कलॉ, वि0ख0 ऊँचागॉव तहसील स्याना	24–09–2020	नरसेना
10	मौ0 पंचवटी, वि0ख0 व तहसील खुर्जा	26–09–2020	खुर्जा नगर
11	ग्राम गिनौरा नगली, वि0ख0 जहॉगीराबाद तहसील स्याना	28–09–2020	खानपुर
12	मौ0 स्याना सिकन्द्रा, नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद, तहसील बुलन्दशहर	01–10–2020	औरंगाबाद
13	मौ0 लक्ष्मी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	01–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
14	मौ0 रामा एन्कलेव, मन्दिर के पास, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	01–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
15	मौ0 अहीरपाड़ा, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	01–10–2020	खुर्जा नगर
16	मौ0 सराय नसरूल्ला, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	01–10–2020	खुर्जा नगर
17	मौ0 कोठियात, आजाद पब्लिक स्कूल के सामने, शिवचरण इण्टर कॉलेज वाली गली, को0नगर बुलन्दशहर	03–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
18	ग्राम अगराई, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	03–10–2020	सिकन्द्राबाद
19	ग्राम बरवाला, वि0ख0 ऊँचागॉव, तहसील स्याना	05–10–2020	नरसेना
20	मौ0 प्रेम नगर, राजदरबार होटल के सामने, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	05–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
21	मौ0 राधा नगर, निकट भाटी आटा चक्की, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	05–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
22	आवास विकास प्रथम (एचएफएस/एसएफएस), नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	05–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
23	शिवा टैण्ट वाली गली नं0–1, धमैड़ा मोड़, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	06–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
24	ग्राम नगला तुलसी, वि0ख0 व तहसील डिबाई	07–10–2020	नरौरा
25	ग्राम दोगवां, वि0ख0 व तहसील डिबाई	07–10–2020	डिबाई
26	माता वाली गली, चॉदपुर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	07–10–2020	को0नगर बु0शहर
27	नयागॉव चॉदपुर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	07–10–2020	को0नगर बु0शहर
28	ग्राम बहलीमपुरा, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	07–10–2020	को0देहात बु0शहर
29	खाटू श्याम मन्दिर के बराबर वाली गली, मोती बाग सिविल लाईन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	07–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
30	मौ0 बाबूपुरा, बिजली घर के सामने चॉमड वाली गली, देवीपुरा प्रथम नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	07–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर

31	मौ0 नई बस्ती, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	07–10–2020	खुर्जा नगर
32	पी0एन0बी0 के पास, मौ0 पाठक, नगरीय क्षेत्र जहाँगीराबाद	08–10–2020	जहाँगीराबाद
33	अपार्टमेंट गंगानगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	08–10–2020	को0देहात बु0शहर
34	ग्राम सबदलपुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	08–10–2020	को0देहात बु0शहर
35	चौधरी शिकारपुर कम्पाउण्ड, डी0एम0रोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	08–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
36	मेरठ हॉस्पिटल के सामने वाली बिल्डिंग, अनूपशहर रोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	08–10–2020	को0देहात बु0शहर
37	ईश्वर दयाल वाली गली मौ0 राधा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	08–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
38	ग्राम वैरा फिरोजपुर, वि0ख0 व तहसील स्याना	09–10–2020	स्याना
39	मौ0 जाटवान, कस्बा बी0बी0नगर, वि0ख0 बी0बी0नगर व तहसील स्याना	09–10–2020	बी0बी0नगर
40	ग्राम कमालपुर, वि0ख0 ऊँचागाँव, तहसील स्याना	09–10–2020	नरसैना
41	मौ0 हीरा कालोनी, कस्बा सिकन्द्राबाद	09–10–2020	सिकन्द्राबाद
42	मौ0 खत्रीबाड़ा, कस्बा सिकन्द्राबाद	09–10–2020	सिकन्द्राबाद
43	मो0 कालापीर, कस्बा सिकन्द्राबाद	09–10–2020	सिकन्द्राबाद
44	ग्राम नत्थूगढ़ी, वि0ख0 गुलावठी तहसील बुलन्दशहर	09–10–2020	गुलावठी
45	ग्राम नगलाकरन, वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर	09–10–2020	औरंगाबाद
46	ग्राम मूढ़ीबकापुर, वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर	09–10–2020	औरंगाबाद
47	डॉ0 मकसूद के मकान के सामने स्याना रोड़ औरंगाबाद, नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद तहसील बुलन्दशहर	09–10–2020	औरंगाबाद
48	मौ0 भूड़, डाकखाने वाली गली भाना की चक्की के पास, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	09–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
49	चन्द्रकुटी, डी0एम0रोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	09–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
50	वैशाली कालोनी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	09–10–2020	खुर्जा नगर
51	कब्रिस्तान के पास मौ0 लोधान कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	09–10–2020	जहाँगीराबाद
52	सावन कृपाल अस्पताल के पास ग्राम चचरई रोड़, कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	09–10–2020	जहाँगीराबाद
53	देवेन्द्र मास्टर के मकान के पास, मौ0 बाजार पुख्ता, कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	09–10–2020	जहाँगीराबाद
54	ग्राम चिरौरी, वि0ख0 व तहसील डिबाई	10–10–2020	रामघाट
55	ग्राम दौरऊ, वि0ख0 दानपुर तहसील डिबाई	10–10–2020	डिबाई
56	ग्राम चठेरा, वि0ख0 ऊँचागाँव तहसील स्याना	10–10–2020	खानपुर
57	ग्राम धतूरी, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	10–10–2020	सलैमपुर
58	मौ0 मुफ्तीबाड़ा, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	10–10–2020	शिकारपुर
59	लालता मन्दिर के पास मौ0 अहार गेट, कस्बा व तहसील अनूपशहर	10–10–2020	अनूपशहर
60	नूर मस्जिद के बराबर वाली गली, मौ0 फैसलाबाद नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	10–10–2020	को0नगर बुलन्शहर
61	शर्मा टायर हाउस के पास, अनूपशहर अड्डा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	10–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
62	ए ब्लाक, यमुनापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	10–10–2020	को0देहात बुलन्दशहर
63	ग्राम दशहरा, वि0ख0 अर्निया तहसील खुर्जा	10–10–2020	अर्निया
64	ग्राम सारंगपुर, वि0ख0 व तहसील खुर्जा	10–10–2020	खुर्जा नगर
65	जोगी वाली गली नवलपुरा, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	10–10–2020	खुर्जा नगर
66	भवन मन्दिर के पीछे, देवीपुरा द्वितीय, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	11–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
67	शिव मन्दिर के आगे वाली गली मौ0 भगवानपुरा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	11–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
68	मौ0 कायस्थवाड़ा, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद	11–10–2020	सिकन्द्राबाद
69	चाँदपुर चुँगी, कस्बा व तहसील स्याना	12–10–2020	स्याना
70	ग्राम सरावा, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	12–10–2020	शिकारपुर
71	ग्राम अमेठा, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	12–10–2020	अनूपशहर
72	ग्राम पगौना, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	12–10–2020	अनूपशहर
73	पीर बियावनी, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	12–10–2020	सिकन्द्राबाद
74	वाटर वर्क्स के सामने मौ0 साठा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	12–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
75	सुशीला बिहार प्रथम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	12–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
76	ग्राम औरंगाबाद अहीर, वि0ख0 गुलावठी तहसील बुलन्दशहर	12–10–2020	गुलावठी
77	मौ0 अजीजाबाद, नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद तहसील बुलन्दशहर	12–10–2020	औरंगाबाद
78	ग्राम माधोगढ़, वि0ख0 जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	13–10–2020	खानपुर
79	ग्राम चचरई, वि0ख0 जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	13–10–2020	जहाँगीराबाद

80	ग्राम मलकपुर, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	13–10–2020	अनूपशहर
81	मौ0 खीरखानी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	13–10–2020	खुर्जा नगर
82	वृन्दावन विहार, जंक्शन रोड, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	13–10–2020	खुर्जा नगर
83	चक्की वाली गली, मौ0 ईंटा रोड़ी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	13–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
84	शिव अवश्य कालोनी निकट न्यू राजदरबार मैरिज होम नगरीय क्षेत्र बु0शहर	13–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
85	ग्राम महमदपुर, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	14–10–2020	शिकारपुर
86	आजाद नगर, सलेमपुर रोड, कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद	14–10–2020	सिकन्द्राबाद
87	टीचर्स कालोनी, कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद	14–10–2020	सिकन्द्राबाद
88	ग्राम पचौता, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	14–10–2020	को0देहात बु0शहर
89	सूर्य नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	14–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
90	लेबर कालोनी, ग्राम ऊँचागॉव, वि0ख0 अर्निया तहसील खुर्जा	14–10–2020	अर्निया
91	ग्राम ढ़लना, वि0ख0 ऊँचागॉव तहसील स्याना	15–10–2020	नरसेना
92	ग्राम चॉदपुर पूठी, वि0ख0 व तहसील स्याना	15–10–2020	स्याना
93	मौ0 पीरखान, एक मीनार मस्जिद के पास नगरीय क्षेत्र गुलावठी तहसील बुलन्दशहर	15–10–2020	गुलावठी
94	नाले के पास, मौ0 देवीपुरा–प्रथम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	15–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
95	मौ0 हरी एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	16–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
96	मौ0 कोठियात आजाद कालोनी, नगर पालिका के सामने, नगरीय क्षेत्र बु0शहर	16–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
97	मौ0 चारयार, निकट यशफार्म हाउस, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	16–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
98	ग्राम जौलीगढ़, वि0ख0 अगौता, तहसील बुलन्दशहर	16–10–2020	अगौता
99	सरकारी कालोनी तेल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद	16–10–2020	सिकन्द्राबाद
100	कुंवर पाल पुत्र कालाराम के घर के अगल–बगल जाटव मौहल्ला विकास खण्ड उंचागांव तहसील स्याना	17–10–2020	थाना नरसैना
101	ग्राम भुन्ना जाटान विकास खण्ड एवं तहसील खुर्जा	17–10–2020	जहॉगीरपुर
102	निकट बिजली घर के पास जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद	17–10–2020	सिकन्द्राबाद
103	ग्राम भटौला तहसील शिकारपुर	17–10–2020	शिकारपुर
104	ग्राम रानऊ तहसील शिकारपुर	17–10–2020	शिकारपुर
105	जाटव मौहल्ला अमरपुर, वि0ख0 ऊँचागॉव, तहसील स्याना	18–10–2020	खानपुर
106	ग्राम ककरई, वि0ख0 जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर	18–10–2020	जहॉगीराबाद
107	मौ0 छपेटी, कस्बा व तहसील अनूपशहर	18–10–2020	अनूपशहर
108	ग्राम खुशहालगढ़, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	18–10–2020	अनूपशहर
109	मौ0 शान्ति नगर भूड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	18–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
110	ग्राम ताजपुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	18–10–2020	को0देहात बुलन्दशहर
111	ग्राम जिरौंठी, वि0ख0 गुलावठी तहसील बुलन्दशहर	18–10–2020	गुलावठी
112	ग्राम डूँगरा जाट, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	19–10–2020	जहॉगीराबाद
113	श्री नाथ मारबल के बराबर वाली गली, पन्नी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	19–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
114	ग्राम बुटैना, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	19–10–2020	सिकन्द्राबाद
115	ग्राम राजघाट, वि0ख0 व तहसील डिबाई	20–10–2020	नरौरा
116	मौ0 गॉधी चौक, नगरीय क्षेत्र छतारी, तहसील शिकारपुर	20–10–2020	छतारी
117	मौ0 फूलबाग, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	20–10–2020	शिकारपुर
118	मौ0 कानूनगोयान, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	20–10–2020	शिकारपुर
119	मौ0 मोथरपुर, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	20–10–2020	शिकारपुर
120	ग्राम सॉखनी, वि0ख0 जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर	20–10–2020	जहॉगीराबाद
121	राजेश्वर मन्दिर के सामने वाली गली (सराय गुसांई), नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर	20–10–2020	को0नगर बुलन्दशहर
122	ग्राम चिड़ावक, वि0ख0 गुलावठी व तहसील बुलन्दशहर	20–10–2020	गुलावठी
123	गोपाल पैट्रोल पम्प के सामने मौ0 रामनगर, नगरीय क्षेत्र गुलावठी व तहसील बुलन्दशहर	20–10–2020	गुलावठी
124	ग्राम आसफाबाद चन्दपुरा, वि0ख0 गुलावठी व तहसील बुलन्दशहर	20–10–2020	गुलावठी
125	ग्राम ख्वासपुर, वि0ख0 लखावटी व तहसील बुलन्दशहर	20–10–2020	औरंगाबाद
126	ग्राम वैर, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	20–10–2020	सिकन्द्राबाद
127	ग्राम सरायघांसी, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	20–10–2020	सिकन्द्राबाद
128	ग्राम रानापुर, वि0ख0 व तहसील स्याना	21–10–2020	स्याना
129	ग्राम दानपुर, वि0ख0 दानपुर व तहसील डिबाई	21–10–2020	डिबाई

130	ग्राम दानगढ़, वि0ख0 दानपुर व तहसील डिबाई	21–10–2020	डिबाई
131	मौ0 सराय किशन चन्द, नगरीय क्षेत्र डिबाई	21–10–2020	डिबाई
132	मौ0 अम्बेडकर नगर, नगरीय क्षेत्र छतारी तहसील शिकारपुर	21–10–2020	छतारी
133	ग्राम फतेहगढ़, वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर	21–10–2020	अहमदगढ़
134	सोलंकी वाली गली, मुरारी नगर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	21–10–2020	खुर्जा नगर

मा0 मुख्य सचिव, गृह (गोपन), अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 2127/2020/सीएक्स–3 दिनॉक 03–10–2020 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि लॉकडाउन केवल कन्टेनमेन्ट जोन तक ही सीमित रहेगा तथा कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण माइक्रो लेवल पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप इस उद्देश्य से किया जायेगा कि संक्रमण श्रृंखला (Chain of Transmission) को तोड़ा जा सके।

शहरी क्षेत्रः– (1) किसी एक घर में एक या उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर अगल–बगल के अधिकतम एक–एक घर तक माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा।

(2) एक से अधिक घरों में संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर, जिन घरों में संक्रमण के प्रकरण आये हों, उनके अगल–बगल के घरों तक के क्षेत्र को कलस्टर जोन माना जायेगा और तनुसार पैरामीटर कन्ट्रोल भी रहेगा।

(3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट–जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जायेगी–

(i) यदि एकल तल पर सक्रिय केस पाया जाये तो ऐसा तल सील कर यिा जायेगा।

(ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाये जाये तो सम्बन्धित तल ही सील कर दिया जायेगा।

(iii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों मे सक्रिय केस पाए जाते है तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण–ताल, बैंक्वेट–हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।

(iv) ऐसे भवनों को पूर्ण रूप से सेनेटाईज/निसंकमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जायेगा।

(4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट–जोन के सम्बन्ध में–

(i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड–19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रः–(1) किसी एक घर में एक या उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर अगल–बगल के अधिकतम एक–एक घर तक माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन बनाया जायेगा।

(2) यदि गॉव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो जिन घरों में संक्रमण के प्रकरण आये हों, उनके अगल–बगल के घरों तक के क्षेत्र को कलस्टर जोन माना जायेगा तथा तनुसार पैरामीटर कन्ट्रोल भी रहेगा।

माइक्रो /कलस्टर कन्टेनमेंट जोन में निम्न प्रकार व्यवस्था रहेगीः–

1– कन्टेनमेन्ट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।

2– कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होगी।

3– कन्टेनमेन्ट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।

4– कन्टेनमेंट–जोन के बाहर ऐसे क्षेत्र जहाँ नये केस होने की सम्भावना हो उन्हें कलस्टर जोन के रुप में चिन्हित किया जाएगा जिनके अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी/जिला–प्रशासन अपने स्तर से दिशा–निर्देश निर्गत करेंगे।

5– कन्टेनमेंट जोन में शत–प्रतिशत घरों की स्वास्थ्य जॉच एवं सेनीटाइजेशन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा फायर इंजन से Disinfectant का छिड़काव किया जायेगा। लोगों को फेस मॉस्क भी वितरित किये जायेंगे।

6– कन्टेनमेंट जोन में डॉक्टर सहित एम्बुलेंस लगायी जायेगी। यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एम्बुलेन्स या A.L.S. से ले जाया जायेगा। किसी भी दशा में निजी वाहन–प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी अपरिहार्य स्थिति मे उक्त सम्बन्धित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कन्ट्रोल रूम 7839791647 अथवा श्री बी0 के0 श्रीवास्तव, डी0एम0ओ0 (मो0नं0–9412425890) से सम्पर्क कर सकते है।

7– कन्टेनमेंट जोन में सघन पैट्रोलिंग की जायेगी तथा 112 वाहनों की विशेष ड्यूटी लगायी जायेगी। पुलिस तथा 112 की गाड़ियों से लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरुक किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति फिर भी धारा–144 द0प्र0सं0 के निर्देशों का उल्लंघन करेगा, तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

8– कन्टेनमेंट जोन में सेक्टर–स्कीम लागू की जायेगी तथा पिकेट ड्यूटी लगायी जायेगी।

9– कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोडकर शेष सभी व्यक्तियों के पूर्व में निर्गत किये गये पास निरस्त किये जाते हैं।

10– उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने–अपने आवास (इंडोर) में ही रहेंगे।

उक्त आदेशों का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर–15(पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या–45 सन 1980) की धारा–188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

21.10.2020

जिला मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।

पृष्ठांकन संख्याः 690 /एस0टी0–डी0एम0/2020 दिनांकः 21 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2– गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्रांक सं0 40–3/2020–डीएम–I(ए) दिनॉक 30 सितम्बर 2020 एवं मा0मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ के संदर्भित पत्र के प्रस्तर 3(III) के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

3– अपर मुख्य सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

4– अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

5– प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

6– आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।

7– उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर।

8– वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश का प्रभावी अनुपालन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र में नियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का कष्ट करें।

9– मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।

10– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिबन्धित स्थलों पर मजिस्ट्रेट की रोस्टरवार ड्यूटी लगाते हुए तैनाती आदेश जारी करायें।

11– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/(न्यायिक), बुलन्दशहर।

12– अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/देहात, बुलन्दशहर।

13– मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि प्रतिबन्धित क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्र में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सैनिटाईजेशन, स्टाफ डिप्लॉयमेंट आदि यथा वॉछित कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

14– नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित उप–जिलाधिकारी, जनपद बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि आदेश की प्रति सम्बन्धित स्तर पर चस्पा कराते हुए परिसर एवं आस–पास इसकी विधिवत घोषणा कराकर सूचित करायें। साथ ही चिकित्सा एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

15– समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, जनपद बुलन्दशहर को अनुपालनार्थ

16– नियंत्रक, सिविल डिफेंस, नरौरा जनपद बुलन्दशहर।

17– जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।

18– समस्त संबंधित को अनुपालनार्थ।

21.10.2020

जिला मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।